

बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
**पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी**

{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 04/e-PROC/PZMDS/2026-27**

1	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2	विज्ञापनदाता का नाम पता	पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी
3	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.06.2026 से 03.07.2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )
4	प्री-बिड बैठक की तिथि एवं समय	दिनांक 27.06.2026 को अपराह्न 4:00 बजे (पटना जू स्थित निदेशक, पटना जू-सह-सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के कार्यालय में)
4	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 03.07.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 04.07.2026 को अपराह्न 4:00 बजे ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )

क्र० सं०	निविदा का विवरण।	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	निविदा की अवधि
1	पटना जू के वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती।	रु० 2,000 / (रुपये दो हजार) प्रति।	रु० 50,000 / - (पचास रुपये)	15.07.2026 से 30.06.2027 (एक वर्ष)

पटना जू के वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती हेतु अनुभवी फर्मों/एजेंसी/कम्पनी से ई-निविदायें निर्धारित समयावधि में ई-प्रॉक पोर्टल के माध्यम से विहित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा e-Procurement Portal (<https://eproc2.bihar.gov.in>) के माध्यम से समर्पित की जानी है। ई-निविदा <https://state.bihar.gov.in/forest> पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0612-2217758 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

19/06/2026  
निदेशक, पटना जू-सह-सचिव,  
पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी।



बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
**पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी**

{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 04/e-PROC/PZMDS/2026-27**

**पटना जू के वाहन/साईकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु निर्धारित निविदा शर्तें।**

- पटना जू के चिन्हित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड के एक वर्ष की अवधि के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक 03.07.2026 के 5:00 बजे अपराह्न तक Eproc2 के माध्यम से अल्पकालीन ई-निविदायेँ आमंत्रित की जाती है।
- निविदा से संबंधित विवरण निम्नवत् है:-**

1	विभाग का नाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2	विज्ञापनदाता का नाम पता	पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी
3	परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.06.2026 से 03.07.2026 को अपराह्न 12:00 बजे तक ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )
4	प्री-बिड बैठक की तिथि एवं समय	दिनांक 27.06.2026 को अपराह्न 4:00 बजे (पटना जू स्थित निदेशक, पटना जू-सह-सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी के कार्यालय में)
4	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 03.07.2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )
5	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 04.07.2026 को अपराह्न 4:00 बजे ई-प्रॉक पोर्टल पर ( <a href="https://eproc2.bihar.gov.in">https://eproc2.bihar.gov.in</a> )

**निविदा से संबंधित विवरणी:-**

क्र० सं०	निविदा का विवरण।	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	निविदा की अवधि	सुरक्षित मूल्य
1	पटना जू के वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती।	रु० 2,000 / (रुपये दो हजार)।	रु० 50,000 /- (पचास रुपये)	15.07.2026 से 30.06.2027 (एक वर्ष)	रु० 9,00,525 /- प्रति माह

- किसी भी कारण से निविदा अवधि में बदलाव करने अथवा निविदा अवधि के पूर्व निविदा समाप्त करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
- ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदाकर्ताओं को ई-निविदा के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा, जहाँ उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट <https://eproc2.bihar.gov.in> से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क 'mjunction service Ltd, R.J. Complex, 2nd Floor, Khajpura-Ashina Road, Opp. Passport Office, P.S. Shastri Nagar, Patna- 800014, Toll Free No. 1800 572 6571, Email Id- eproc2support@bihar.gov.in' से सम्पर्क किया जा सकता है।

cut

1



5. यदि कोई निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ई-निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं, तब भी ई-निविदा मान्य समझा जायेगा।
6. ई-निविदा प्रपत्र ऑन लाईन डाउनलोड किये जा सकते हैं जिस के लिए ₹0 2,000/- का ई-पेमेंट मोड (NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card, Net Banking) से भुगतान करना होगा। इसी प्रकार Eproc2 के टेन्डर प्रोसेसिंग फीस का भुगतान भी ई-पेमेंट मोड से करना होगा। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य तथा टेन्डर प्रोसेसिंग फीस अप्रत्यर्पणीय होगा।
7. अर्पित निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर किये समर्पित निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा। तकनीकी निविदा के साथ निविदा सूचना एवं निविदा शर्तें हस्ताक्षरित कर संलग्न करनी होगी। **निविदा सूचना, तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें संलग्न न करने अथवा हस्ताक्षरित न करने पर समर्पित निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।**
8. निविदा अर्पित करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता पार्किंग स्थल देखकर पार्किंग क्षेत्र एवं सोसाइटी द्वारा अनुमोदित पार्किंग दर की जानकारी पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के कार्यालय से अथवा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
9. निविदादाता को आयकर विभाग से निबंधित होना चाहिए। निविदादाता को उनके आयकर निबंधन प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति एवं विगत तीन वर्षों यथा Assessment Year 2023-24, 2024-25, एवं 2025-26 के वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति तकनीकी निविदा में संलग्न करनी होगी।
10. निविदादाता को जी०एस०टी० के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निविदादाता को उनके फर्म/एजेंसी के विगत दो तिमाही का जी०एस०टी० रिटर्न की छाया प्रति तकनीकी निविदा में संलग्न करनी होगी।
11. निविदादाता को राज्य सरकार/निगम में विगत तीन सालों में पार्किंग स्टैंड के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। सरकारी कार्य कर रही निजी कम्पनी के द्वारा निर्गत कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश मान्य नहीं होगा।
12. निविदादाता का वार्षिक टर्न-ओवर कम से कम प्रतिवर्ष ₹. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) होना चाहिए। निविदादाता को विगत दो वित्तीय वर्षों यथा 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक टर्न-ओवर का सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
13. निविदादाता को बिहार सरकार के निदेशानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
14. निविदादाता को राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न करना होगा।
15. निविदादाता को किसी सरकारी कार्यालय/विभाग द्वार कृष्णचिह्नित न किये जाने/काली सूची में दर्ज न होने संबंधी नोटरी का मूल शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
16. निविदादाता के द्वारा किसी भी मध्यस्थ को शामिल करने अथवा पार्किंग बन्दोबस्ती कार्य अन्य एजेंसी को सब-लेट न किये जाने संबंधी नोटरी का मूल शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
17. निविदादाता का समर्पित कागजात/अभिलेख की सत्यता संबंधी नोटरी का मूल शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
18. निविदादाता द्वारा वांछित दस्तावेज, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र तकनीकी निविदा में संलग्न न करने पर समर्पित निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।
19. निविदा समिति द्वारा केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।



20. निविदादाता के द्वारा सुरक्षित मूल्य से कम प्रतिमाह दर अर्पित नहीं किया जाएगा। निविदादाता के द्वारा सुरक्षित मूल्य से कम प्रतिमाह दर अर्पित करने पर उनकी वित्तीय निविदा को वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन में विचार में नहीं लिया जाएगा।
21. निविदादाता वित्तीय निविदा के प्रपत्र में पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी को मासिक रेंट के रूप में दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द में दोनों साफ-साफ लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। शब्द एवं अंक में लिखे गये राशि में अंतर पाये जाने पर शब्द में अंकित राशि को वित्तीय मूल्यांकन हेतु अंतिम माना जायेगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
22. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन निविदादाताओं द्वारा प्रतिमाह किराया दर के रूप में अर्पित दर में **अधिकतम अर्पित दर (एच-1)** के आधार पर तय किया जाएगा।
23. यदि दो या अधिक निविदाकर्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।
24. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझ लिया है तथा वे निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
25. सफल निविदाकर्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा। एकरारनामा के लिए सफल निविदाकर्ता को रु० 1000/- का नन-जुडिशियल स्टाम्प सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही सफल निविदादाता को 03 माह की अग्रिम किराया की राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० के रूप में एवं सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के पदनाम में प्लेज्ड होगा।
26. यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
27. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदादाता को पार्किंग के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय (एक सप्ताह के भीतर) तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी। सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि भविष्य में पटना जू के किसी भी निविदा में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दें।
28. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र पार्किंग का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं नई निविदा करने की कार्रवाई की जायेगी।
29. असफल निविदादाता की अग्रधन राशि निविदा के अन्तिम निर्णय के दो सप्ताह के बाद लौटा दी जायेगी।
30. यदि निविदादाता निविदा शर्त के किसी भी कंडिका के उल्लंघन करते हैं, तो उनके निविदा को रद्द करने तथा जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात करने एवं कृष्णचिह्नित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
31. सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को अस्वीकृत कर दें।
32. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पटना होगा।



### अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:-

1. पटना मेट्रो के निर्माण के क्रम अथवा अन्य किसी कारण में यदि यह आवश्यक पाया जाता है कि निविदा अवधि के दौरान पार्किंग का संचालन बन्द किया जाए, ऐसी स्थिति में बिना पूर्व सूचना दिये पार्किंग संचालन बन्द किये जाने एवं निविदा रद्द किये जाने हेतु सफल निविदादाता को निदेशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रिम किराया की राशि को उस माह के लिए प्रतिदिन अंकण कर अवशेष दिनों की Proportionate राशि को निविदादाता को वापस किया जाएगा।
2. निविदा अवधि में किसी भी कारण निविदा रद्द करने पर निविदादाता को सोसाईटी का निर्णय मान्य होगा एवं इसके लिए सोसाईटी के द्वारा किसी भी Compensation राशि निविदादाता को भुगतान नहीं होगी।
3. निविदा खोलने अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली है तो सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके जमानत की राशि को राजसात कर कृष्णचिन्हित किया जाएगा।
4. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा शर्त के किसी भी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राजसात करते हुए, कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।
5. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एक माह का अग्रिम किराया निश्चित रूप से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह का किराया 05 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 05 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृद्ध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो माह तक किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संचालक का जमा प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
6. सफल निविदाकर्ता (वाहन स्टैंड संचालक) निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के बीच वाहन स्टैंड का संचालन करने से इंकार नहीं करेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि राज्यसात कर ली जाएगी।
7. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्ता (वाहन स्टैंड संचालक) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी संचालक की होगी।
8. समय पर अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन स्टैंड संचालक द्वारा जमा जमानत राशि को राजसात करने तथा निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार निदेशक, पटना जू को होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन स्टैंड संचालक के विरुद्ध कोई राशि बकाया रह जाती है तो नीलाम-पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।
9. वाहन स्टैंड संचालक को पार्किंग साफ-सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं संचालक को मान्य होगा।
10. गेट न० 1 पर वाहन स्टैंड के अन्दर अवस्थित शौचालय को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेवारी संचालक की होगी जिसका निरीक्षण उद्यान के पदाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। शौचालय गंदा पाये जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे।
11. वाहन स्टैंड संचालक को यह अधिकार होगा कि उपर्युक्त स्टैण्ड में वाहन /साईकिल रखने वालों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित राशि वसूल करेंगे। दर तालिका पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी से प्राप्त की जा सकती है।
12. विभाग द्वारा निर्धारित दर, संचालक को पार्किंग स्टैण्ड के निकट पर्यटकों को स्पष्ट रूप से दिखे इस तरह **कम-से-कम दो बड़े साईज के पट्टे पर दर तालिका** लगाना होगा, जिसपर पार्किंग दर साफ-साफ



अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दर तालिका लगाने हेतु पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के निदेश का अनुपालन करना होगा।

13. संचालक, स्टैंड के संचालन के लिये निर्धारित दर का टिकट स्वयं छपवायेंगे अथवा पार्किंग टिकट पी०ओ०एस० मशीन से अपना कर्मचारी रखकर स्टैंड का संचालन करेंगे। पार्किंग स्टैंड में रखे गये कर्मचारियों का पूरा पता संचालक पटना जू के निदेशक कार्यालय में देंगे तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक की होगी।
14. संचालक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र द्वारा टिकट सत्यापित कर ही टिकट का उपयोग वाहन स्टैंड में करेंगे। इसके लिए संचालक टिकट छपवा कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र से सत्यापित करायेंगे। बिना सत्यापन के टिकट का उपयोग किए जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे जिसमें निविदा का रद्द किया जाना भी शामिल है। उपयोग किए गए टिकट के अद्यकट्टी को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र के कार्यालय में ससमय जमा करेंगे।
15. संचालक, पी०ओ०एस० मशीन की भी समय-समय पर जाँच वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र से करायेंगे। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, टूरिज्म प्रक्षेत्र पी०ओ०एस० मशीन की औचक जाँच कर प्रतिवेदन सोसाइटी के कार्यालय में समर्पित करेंगे।
16. संचालक अपने खर्च पर वाहनों को स्टैंड में प्रवेश कराने के पूर्व मेटल डिटेक्टर से जाँच करेंगे तथा स्टैंड परिसर में सी.सी.टी.वी. अवश्य स्थापित करेंगे।
17. वाहन स्टैंड से किसी तरह के वाहन की चोरी होने अथवा खो जाने पर पूरी जिम्मेवारी संचालक की होगी तथा वाहन मालिक को हर्जाना का भुगतान संचालक के द्वारा ही करना होगा।
18. संचालक दोनों गेटों के बाहर बिना अनुमति से लगाये गये ठेला से किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे और न ही इसपर कोई दावा/विवाद करेंगे।
19. वाहन स्टैंड का निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली, पर्यटकों से असभ्य व्यवहार अथवा शौचालय की गंदगी की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रु० 5000/- (पाँच हजार रुपये) होगी।
20. सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।
21. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।
22. किसी भी विवाद के निपटारा का न्याय क्षेत्र पटना होगा।
23. सचिव, पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत/रद्द कर दें।

सचिव,  
पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी



बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
**पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी**

{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 04/e-PROC/PZMDS/2026-27**

**तकनीकी निविदा**

- 1 निविदादाता / फर्मों / रेस्तराँ संचालक/प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ).....

क्र.	तकनीकी सूचना	निविदाकर्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र मूल्य रु० 2000 /—(दो हजार रुपये मात्र) के भुगतान की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
2	अग्रधन राशि रु० 50,000 /—(पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
3	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन दो तिमाही (छ: माह) की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	पैन के निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का (Assesment Year 2023–24, 2024–25 एवं 2025–2026) आयकर रिटर्न की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
5	वार्षिक टर्न ओवर-विगत दो साल (वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25) (रु० 1,00,00,000 /— (एक करोड़ रुपये) से अधिक प्रतिवर्ष) टर्न ओवर संबंधित दस्तावेज।		
6	राज्य सरकार/निगम में विगत तीन सालों में पार्किंग स्टैण्ड के कार्य का अनुभव की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
7	पहचान-पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व:हस्ताक्षरित छायाप्रति।		
8	आवेदक का चरित्र प्रमाण-पत्र (सरकार के निदेशानुसार)		
9	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न		
10	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्ता का नाम दर्ज होने/नहीं होने से संबंधित घोषणा-पत्र।		
11	किसी भी मध्यस्थ को शामिल करने अथवा पार्किंग बन्दोबस्ती कार्य अन्य एजेंसी को सब-लेट न किये जाने का नोटरी का मूल शपथ-पत्र।		
12	समर्पित कागजात/अभिलेख की सत्यता संबंधी नोटरी का मूल शपथ-पत्र		

नोट:- मांगे गए सभी दस्तावेज का विवरण क्रमवार एवं पृष्ठ संख्या के साथ अवश्य अंकित करें।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है एवं मैं निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान : .....

निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांक: .....

पूरा नाम –

पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं०:-

बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
**पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाईटी**

{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

**अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं० 04/e-PROC/PZMDS/2026-27**

**वित्तीय निविदा**

- 1 निविदादाता/फर्मों/संचालक/प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं० के साथ)

.....  
.....

2. पार्किंग हेतु अर्पित मासिक किराया दर –

क्र० सं०	कार्य विवरणी	सुरक्षित मूल्य	अर्पित प्रतिमाह किराया दर (अंक में)	अर्पित प्रतिमाह किराया दर (शब्दों में)
1	पटना जू के वाहन/साईकिल स्टैंड की बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित स्थल का प्रतिमाह किराया	रु० 9,00,525 / – प्रति माह		

नोट:-1. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन अधिकतम अर्पित दर (एच-1) के आधार पर तय किया जाएगा।

2. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्तों का पालन करना होगा।  
3. निविदादाता के द्वारा सुरक्षित मूल्य से कम प्रतिमाह दर अर्पित नहीं किया जाएगा। निविदादाता के द्वारा सुरक्षित मूल्य से कम प्रतिमाह दर अर्पित करने पर उनकी वित्तीय निविदा को वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन में विचार में नहीं लिया जाएगा।

स्थान : .....

दिनांक: .....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

पता–

मोबाईल नं०:-

ई-मेल :-